BIHAR STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Parivesh Bhawan
Phone-0612-2261250/2262265, Fax-0612-2261050
E-mail: msbspcb-bih@gov.in, Website http://bspcb.bihar.gov.in

Notification. No.:-25 Patna, dated:-20-10-22

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, vide its Notification G.S.R. 143(E), dated 22.02.2022, has made Environment (Protection) Amendment Rules, 2022. The said Rules, *inter-alia,* under Notes 6 & 7 thereto provides for minimum distance at which brick-kilns should be established. It lays that a brick-kiln should be at a minimum distance of 0.8 km (800m.) from habitation and fruit orchards. Further, brick-kilns should be established at a minimum distance of one kilometre (1000m.) from an existing brick-kiln.

Prior to, coming into force of the aforesaid notification, the Bihar State Pollution Control Board, in exercise of powers under Section 17 & 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and Section 17 & 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, has time & again made/amended and notified siting criteria/guidelines for establishment of brick-kiln units. The last such guidelines were notified vide Ref No. 16, dated 14.06.2021.

Pursuant to coming into force of Notification dated 22.02.2022, Bihar State Pollution Control Board, in order to streamline the sitting criteria/guideline for brick-kilns with Notification dated 22.02.2022 issued by MoEF&CC, has issued notification no. 11, dated 23.03.2022, under which *inter-alia* minimum distance for brick-kilns from various landmarks (Habitation; Orchard; School; Hospital/nursing homes; Court; State Highway/National Highway etc.) has been laid down.

Whereas, it has come to notice of the State Board that there are many brick-kilns which were established from before i.e., prior to coming into force of MOEF&CC notification dated 22.02.2022 and State Board's Notification dated 23.03.2022, but have due to lack of awareness, Covid-19 pandemic or for some other reasons had never obtained Consent-to-Establish and Consent-to-Operate from State Board. The said brick-kilns have converted into cleaner technology and satisfy the old sitting criteria of the State Board. However, due to coming into force of the aforesaid two notifications they are now not able to obtain Consent-to-Establish and Consent-to-Operate from State Board as they do not satisfy the 'New Siting Criteria'.

Whereas, representation has been received from brick-kilns association to consider the case of such brick-kilns which were established and operating from before coming into force of the aforesaid two notifications and as one time measure issue Consent-to-Establish and Consent-to-Operate to such brick-kilns on old sitting criteria/guideline.

In view of above, the consent application of the brick-kilns existing/established prior to 22.02.2022 will be considered on basis of old siting criteria/guidelines of the State Board, provided, the brick-kiln has converted into cleaner technology and pays twice the 'Environmental Compensation' as laid down in the order dated 06.05.2016 passed in the matter of O.A. No. 61 of 2015/EZ, Joydeep Mukherjee vs Pollution Control Board, State of Bihar & Anr. Such brick-kiln will have to produce any of the following documents dated prior to 22.02.2022 to prove/show their existence prior to 22.02.2022:-

(a) Mining Royalty receipt;

(b) Environmental Clearance;

(c) Electricity bill in name of brick-kiln;

(d) GST.

Also, consent to such brick-kilns will be granted only after spot visit by the officials of the State Board to verify prior existence of the brick-kilns.

This notification will be effective on those consent applications which will be received in the OCMMS online portal till 31st January. 2023.

This issues with the approval of the competent authority.

19/10/22

(S. Chandrasekar)
Member-Secretary

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना-800 010

दूरभाष नं0-0612-2261250/2262265, फैक्स-0612-2261050

ई-मेल-msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट-http://bspcb.bihar.gov.in

अधिसूचना संख्याः 25 पटना, दिनांकः 20.10.22

अधिसूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या GSR 143 (E) दिनांक 22.02.2022 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) यथा-संशोधित नियमावली, 2022 के नियम 06 एवं 07 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ नये ईंट-भट्ठों की स्थापना हेतु न्यूनतम दूरी से संबंधित मानदंड का प्रावधान निम्न प्रकार किया गया हैं:-

1. आबादी व फलों के बगीचे से कम से कम 800 मीटर की दूरी होनी चाहिए;
2. पूर्व से स्थापित ईंट-भट्ठों से कम से कम 1000 मीटर (एक किलोमीटर) की दूरी पर नये भट्ठा की स्थापना होनी चाहिए।

उपरोक्त अधिसूचना के जारी होने के पूर्व बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 एवं 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17 एवं 21 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना संख्या- 16 दिनांक 14.06.2021 द्वारा संशोधित मानदंड अधिसूचित किया गयाा।

तत्पश्चात पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22.02.2022 के अनुपालन में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा अधिसूचना संख्या-11 दिनांक 23.03.2022 जारी किया गया है, जिसके तहत अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न स्थलों (आबादी; फलदार बाग; स्कूल; अस्पताल/नर्सिंग होम; कोर्ट; राज्य उच्च पथ / राष्ट्रीय उच्च पथ इत्यादि) के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

परन्तु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि राज्य में बहुत सारे ऐसे ईंट-भट्ठें हैं, जो पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या GSR-143 (E) दिनांक 22.02.2022 एवं राज्य पर्षद् की अधिसूचना संख्या-11, दिनांक 23.03.2022 के प्रभावी होने के पूर्व से स्थापित हैं, परन्तु संभवतः जागरूकता की कमी; कोविड-19 महामारी अथवा अन्य कारणों से उनके द्वारा राज्य पर्षद् से अबतक स्थापनार्थ सहमति (CTE) और संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त नहीं किया गया है।

ऐसे ही कुछ ईंट-भट्ठे जो अब स्वच्छतर तकनीक में परिवर्त्तित हो चुके हैं एवं राज्य पर्षद् की स्थापना से संबंधित पुराने मानदंडों/दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं, तथापि उपर वर्णित भारत सरकार व राज्य पर्षद् की अधिसूचना के प्रभावी होने के कारण राज्य पर्षद् से स्थापनार्थ सहमति (CTE) एवं संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वे स्थापनार्थ सहमति हेतु नये मानदंडों का अनुपालन नहीं कर पायेंगे।

इस संबंध में ''बिहार ईंट निर्माता संघ'' से प्राप्त अभ्यावेदन द्वारा ऐसे सभी पुराने ईंट-भट्ठे, जो वर्त्तमान में उपर वर्णित दोनों अधिसूचनाओं के प्रभावी होने से पूर्व से स्थापित एवं संचालित हैं, उन्हें एकमुशत उपाय के रूप में पुराने मानदंडों / दिशा-निर्देशों के आधार पर सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 22.02.2022 के पूर्व से विद्यमान / स्थापित ईंट-भट्ठों के सहमति आवेदन पर राज्य पर्षद् के पुराने मानदंड / दिशा-निर्देश के आधार पर सहमति स्वीकृत करने हेतु विचार करने का निर्णय लिया गया, बशर्ते कि ईंट-भट्ठा स्वच्छतर तकनीक में परिवर्तित्त हो गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी पीठ, कोलकाता द्वारा मूल आवेदन संख्या-61/2015/EZ (जॉयदीप मुखर्जी बनाम बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, बिहार सरकार एवं अन्य) के मामले में पारित आदेश दिनांक 06.05.2016 में दोषी ईंट भट्ठा के लिए निर्धारित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि की दोगुनी राशि को वसूल कर राज्य पर्षद् द्वारा स्थापनार्थ सहमति स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता है।

ऐसे ईंट-भट्ठों को दिनांक 22.02.2022 से पूर्व की तिथि का निम्नांकित में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-

(क) खनन रॉयल्टी रसीद;

(ख) पर्यावरणीय मंजूरी;

(ग) ईंट-भट्ठे के नाम पर बिजली का विपत्र;

(घ) जी.एस.टी. कागजात।

राज्य पर्षद् के अधिकारियों द्वारा ईंट-भट्ठों का स्थल निरीक्षण कर उनके अस्तित्व की सत्यता की जाँच कर लेने के पश्चात ही ऐसे ईंट-भट्ठों को सहमति स्वीकृत किया जायेगा।

यह अधिसूचना 31 जनवरी, 2023 तक ओ.सी.एम.एम.एस. ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त होने वाले सहमति आवेदनों पर ही प्रभावी होंगे।

यह सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

एस.चन्द्रशेखर

(सदस्य-सचिव)

ज्ञापांक: 25 पटना, दिनांक: 20.10.22

प्रतिलिपि: सभी पर्यावरण अभियंता / पर्षद् विश्लेषक / सभी वैज्ञानिक / मीडिया कंसल्टेंट / राज्य पर्षद् के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी / सहायक पर्यावरण अभियंता / सहायक प्रोग्रामर / सदस्य-सचिव कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/10/22

एस.चन्द्रशेखर

(सदस्य-सचिव)